

[भारत के राजपत्र(असाधारण) के, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं. 65 /2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 24
सितम्बर, 2018

सा.का.नि.----- (अ), - केंद्र सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 52/2003-सीमा शुल्क दिनांक 31 मार्च, 2003 जोकि भारत के राजपत्र, असाधारण के, सा.का.नि. सं. 274 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2003 के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी, इसके आगे निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, प्रारंभिक पैराग्राफ में के परंतुक में, आंकड़ों, अक्षरों और शब्दों "2 अक्टूबर, 2018" की जगह आंकड़े, अक्षर और शब्द "1 अप्रैल, 2019" प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

[फा. सं. डीजीईपी/एसईजेड/09/2017 (पार्ट-2)]

(आनंद कुमार झा)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी:- दिनांक 31 मार्च, 2003 की प्रधान अधिसूचना सं. 52/2003-सीमा शुल्क, भारत के राजपत्र, असाधारण दिनांक 31 मार्च, 2003 की सा.का.नि. सं. 274 (अ), के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी और दिनांक 23 मार्च, 2018 की सा.का.नि. सं. 273(अ), के अंतर्गत दिनांक 23 मार्च, 2018 की अधिसूचना सं. 33/2018-सीमा शुल्क के अंतर्गत इसमें अंतिम बार संशोधन किया गया था।